डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल–५०५/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
१२२ (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 1995—भाद्र 31, शके 1917

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक २२ सितम्बर १९९५

क्र. १०२३४-इक्कीस-अ.(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २० सितम्बर, १९९५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् १९९५.

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९५.

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. संक्षिप्त नाम का संशोधन.
३. धारा १ का संशोधन.
४. धारा ३ का संशोधन.
५. धारा ११ का संशोधन.
६. धारा २३ का संशोधन.
७. धारा ४४ का संशोधन.
८. निरसन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् १९९५.

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९५.

[दिनांक २० सितम्बर, १९९५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २२ सितम्बर, १९९५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९५ है.

संक्षिप्त नाम का संशोधन. २. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के संक्षिप्त नाम में शब्द "चित्रकूट" के स्थान पर शब्द "महात्मा गांधी" स्थापित किए जाएं.

धारा १ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में शब्द "चित्रकूट" के स्थान पर शब्द "महात्मा गांधी" स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "चित्रकूट" के स्थान पर शब्द "महात्मा गांधी" स्थापित किए जाएं.

धारा ११ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(२) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसका नाम निर्देशिती जो अपर संचालक, उच्च शिक्षा के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो.".

धारा २३ का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा."

धारा ४४ का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की धारा ४४ का लोप किया जाए.

निरसन. ८. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९५ (क्रमांक ५ सन् १९९५) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक २२ सितम्बर १९९५

क्र. १०२३५-इक्कीस-अ.(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९५ (क्रमांक २९ सन् १९९५) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 29 of 1995.

THE CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1995.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Citation.
3. Amendment of Section 1.
4. Amendment of Section 3.
5. Amendment of Section 11.
6. Amendment of Section 23.
7. Omission of Section 44.
8. Repeal.

MADHYA PRADESH ACT

No. 29 of 1995.

THE CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1995.

[Received the assent of the Governor on the 20th September, 1995 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 22nd September, 1995.]

An Act to amend the Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995.

Amendment of Citation.

2. In the citation of the Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the word "Chitrakoot" the words "Mahatma Gandhi" shall be substituted.

Amendment of Section 1.

3. In sub-section (1) of Section 1 of the Principal Act, for the word "Chitrakoot" the words "Mahatma Gandhi" shall be substituted.

Amendment of Section 3.

4. In sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, for the word "Chitrakoot" the words "Mahatma Gandhi" shall be substituted.

Amendment of Section 11.

5. In sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, for clause (2), the following clause shall be subsituted, namely :—

"(2) Commissioner, Higher Education or his nominee not below the rank of Additional Director, Higher Eduction.".

Amendment of Section 23.

6. For sub-section (1) of of Section 23 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :---

"(1) The Governor of Madhya Pradesh shall be the Chancellor of the University.".

Omission of Section 44.

7. Section 44 of the Principal Act shall be omitted

Repeal.

8. The Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (No. 5 of 1995) is hereby repealed.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1995.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम.पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 1997—पौष 16, शक 1918

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक ६ जनवरी १९९७

क्र. १९३-इक्कीस-अ (प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २८ दिसम्बर १९९६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् १९९७.

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९६.

[दिनांक २८ दिसम्बर, १९९६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ जनवरी, १९९७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९६ है. संक्षिप्त नाम.

धारा २४ का संशोधन.

२. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) की धारा २४ में,—

(१) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(३) समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति :

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संबद्ध है, समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा.

(३-क). उपधारा (३) के अधीन समिति गठित करने के लिए, कुलाधिपति, जहां तक संभव हो, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, प्रबन्ध बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो इसके पश्चात् कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा.".

(२) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं , अर्थात् :—

"(५) समिति अपनी सिफारिश अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर करेगी, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए.

(५-क). यदि किसी कारण से वह समिति, जो उपधारा (३) के अधीन गठित की गई है, उपधारा (५) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जाएगा. इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर तीन व्यक्तियों की तालिका प्रस्तुत करेगी.

(५-ख). यदि उपधारा (५-क) के अधीन गठित की गई समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा.".

(३) उपधारा (१२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१२) कुलपति की मृत्यु , उसके पदत्याग, छुट्टी, रुग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति, जो कुलाधिपति द्वारा उपयुक्त समझा जाए और कुलाधिपति द्वारा उसे उस प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित किया जाए , कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि उपधारा (२) या उपधारा (५-ख) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति ग्रहण या पुनःग्रहण नहीं कर लेता है :

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अप्रैल 1997—चैत्र 15, शक 1919

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक ५ अप्रैल १९९७

क्र. ३४३४-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २९ मार्च १९९७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् १९९७.

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७.

[दिनांक २९ मार्च १९९७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ अप्रैल १९९७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

संक्षिप्त नाम का संशोधन.

२. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) (जो मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के संक्षिप्त नाम में शब्द "महात्मा गांधी" के पश्चात् शब्द "चित्रकूट" अन्तःस्थापित किया जाए.

धारा १ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में शब्द "महात्मा गांधी" के पश्चात् शब्द "चित्रकूट" अंतःस्थापित किया जाए.

धारा ३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "महात्मा गांधी" के पश्चात् शब्द "चित्रकूट" अंतःस्थापित किया जाए.

भोपाल, दिनांक ५ अप्रैल १९९७

क्र. ३४३५-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ (क्रमांक १५ सन् १९९७) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 of 1997

THE MAHATMA GANDHI GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1997.

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 1997; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 5th April, 1997.]

An Act further to amend the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of citation.

2. In the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991) (hereinafter referred to as the Principal Act), in the citation, after the word "Mahatma Gandhi" the word "Chitrakoot" shall be inserted.

Amendment of Section 1.

3. In sub-section (1) of Section 1 of the Principal Act, after the word "Mahatma Gandhi", the word "Chitrakoot" shall be inserted.

Amendment of Section 3.

4. In sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, after the word "Mahatma Gandhi", the word "Chitrakoot" shall be inserted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1997.

परन्तु इस उपधारा के अनुसार किया गया इंतजाम एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिए चालू नहीं रहेगा.''.

३. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९६ (क्रमांक ३ सन् १९९६) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. निरसन.

भोपाल, दिनांक ६ जनवरी १९९७

क्र. १९४-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९६ (क्रमांक १ सन् १९९७) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 OF 1997.

THE MAHATMA GANDHI GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1996.

[Received the assent of the Governor on the 28th December, 1996; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 6th January, 1997.]

An Act further to amend the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legilsature in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1996. **Short title.**

2. In Section 24 of the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991).— **Amendment of Section 24.**

(1) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(3) The committee shall consist of the following persons, namely :—

(i) one person elected by the Board of Management;

(ii) one person nominated by the Chairman of the University Grants Commission;

(iii) one person nominated by the Chancellor :

Provided that no person who is connected with the University or any college shall be elected or nominated as a member of the Committee.

(3-A) For constituting the committee under sub-section (3), the Chancellor shall, as far as possible, six months before the expiry of the term of the Vice-Chancellor call upon the Board of Management and the Chairman of the University Grants Commission

to choose their nominees and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the Chancellor's Communication in this regard, the Chancellor may further nominate any one or both the persons, as the case may be.";

(2) for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

" (5) The committee shall make its recommendation within a period of six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Chancellor.

(5-A) If for any reason the committee constituted under sub-section (3) fails to submit the panel within the period specified in sub-section (5), the Chancellor shall constitute another committee consisting of three persons, not connected with the University, or any College one of whom shall be designated as the Chairman. The committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter peroid as may be specified, from the date of its constitution.

(5-B) If the committee constituted under sub-section (5-A) fails to submit the panel within the period specified therein, the Chancellor may appoint any person whom he deems fit, to be the Vice-Chancellor.";

(3) for sub-section (12), the following sub-section shall be substituted, namely :—

" (12) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the Office of the Vice-Chancellor by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise, a Dean of the faculty or any other person considered suitable by the Chancellor and nominated by the Chancellor for that purpose shall act as the Vice-Chancellor until the date on which the Vice-Chancellor appointed under sub-section (2) or sub-section (5-B) enters or re-enters upon his office as the case may be :

Provided that the arrangement according to this sub-section shall not continue for a period of more than one year.".

Repeal.

3. The Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 1996 (No. 3 of 1996) is hereby repealed.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1997

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम.पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 1997—ज्येष्ठ 30, शक 1919

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक २० जून १९९७

क्र. ७०५९-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् १९९७.

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९७.

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २० जून १९९७ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९७ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ९ सन् १९९१ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी रहेगा.

धारा २४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २४ में, --

(एक) उपधारा (७) में शब्द तथा अंक "कुलपति के रूप में सेवा के लिए उच्चतर आयु सीमा ६५ वर्ष होगी" का लोप किया जाए.

(दो) उपधारा (१२) के परन्तुक में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अठारह मास" स्थापित किए जाएं.

मोहम्मद शफ़ी कुरैशी
राज्यपाल
मध्यप्रदेश

भोपाल :
तारीख १९ जून १९९७.

भोपाल, दिनांक २० जून १९९७

क्र. ७०६०-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९७ (क्रमांक २ सन् १९९७) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 OF 1997.

THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN), ADHYADESH, 1997.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated 20th June, 1997.]

Promulgated by the Governor in the Forty-Eighth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessay for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution

of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. This Ordinance may be called the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 1997. **Short title.**

2. During the period of operation of this Ordinance, the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhininam, 1991 (No. 9 of 1991) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Section 3. **Madhya Pradesh Act No. 9 of 1991 to be temporarily amended.**

3. In Section 24 of the Principal Act,— **Amendment to Section 24.**

(i) in sub-section (7), the words and figure "The upper age limit for serving as Vice-Chancellor shall be 65 years", shall be omitted;

(ii) in the proviso to sub-section (12), for the words "One year" the words "eighteen months" shall be substituted.

MOHAMMED SHAFI QURESHI
Governor,
Madhya Pradesh

Bhopal :
Dated the 19th June, 1997

विधायी, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित—1997

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 सितम्बर 2009—भाद्र 14, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक ५ सितम्बर २००९

क्र. ४३०५-२२३-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक १ सितम्बर २००९ को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १४ सन् २००९.

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००९.

[दिनांक १ सितम्बर २००९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ सितम्बर २००९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००९ है.

धारा २८ का संशोधन.

२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २८ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) कुल सचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा १५-ग के अधीन गठित राज्य विश्वविद्यालय सेवा का सदस्य हो सकेगा.".

नई धारा ४४ और ४४-क का अंत: स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४३ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धाराएं अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.

"४४. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो गई है जिससे कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई हो, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन होगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना प्रथमत: ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परन्तु ऐसे प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार इस प्रकार बढ़ जायेगा कि वह विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों का, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट हैं, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निदेश दे सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार आवश्यक समझे.

(४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निदेश के अंतर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा :—

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई हो कि प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं अन्तर्वलित हैं, मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएं;

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये समस्त व्यक्तियों के या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;

(पांच) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाए;

(छह) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को कम किया जाए; और

(सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दवाब कम हो जाए.

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी के लिए और विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आबद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन दिये गये निदेश को कार्यान्वित करे.

(६) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिए गए निदेश के अपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरुपयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी:

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने की कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.

४४-क. (१) यदि राज्य सरकार का, किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात्, इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि कर सकेगी जैसा वह उचित समझे, तथापि अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) नियत तारीख से कुलपति, जो नियत तारीख से अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहा है, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपना पद रिक्त कर देगा और कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किये जाने के साथ-साथ कुलपति को नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा:

परन्तु कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, तथा वह उसी रीति में कुलाधिपति द्वारा हटाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी.

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व, यथास्थिति विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा;

(दो) उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किये गये हों :

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे :

परन्तु यह और कि ऐसी समिति राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त की जायेगी.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात्, यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिये कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित किया गया विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए, इन दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगा :

परन्तु यदि विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न किए जाएं तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक कि, यथास्थिति, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाए.".

भोपाल, दिनांक ५ सितम्बर २००९

क्र. ४३०६-२२३-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००९ (क्रमांक १४ सन् २००९) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.14 OF 2009.

THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2009.

[Received the assent of the Governor on the 1st September, 2009; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th September, 2009].

An Act further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtieth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009.

Amendment of Section 28.

2. In Section 28 of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

" (1) The Registrar shall be appointed by the State Governmnet, who may be a member of the State University Service constituted under section 15-C of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).".

Insertion of new sections 44 and 44A.

3. After section 43 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:—

State Government toassume financial control incertain circumstances.

"44. (1) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State Government may, from time to time, by a like notification, extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation dose not exceed three years.

(3) During the period the notification issued under sub-section (1) ramain in operation, the executive authority of the State Government shall extend to the giving of directions to the University to observe such canons of financial propriety as may be specified in the direction and to the giving of such other directions as the State Government may deem necessary.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such direction may include:—

(i) a provision requiring the submissiom of the budget to the State Government for sanction;

(ii) A provision requiring the University to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;

(iii) a provision requiring the submission to every proposal for revision of scales of pay and rates of allowances of the officers, teachers and other persons employed by the University to the State Government for sanction;

(iv) a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by the University;

(v) a provision requiring the reduction in the number of officers, teachers and othe persons employed by the University;

(vi) a provision requiring the lowering down of scales of pay and rates of allowances and

(vii) a provision in regard to such other matters as may have the effect of reducin the financial strain on the University.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be binding on every authorit of the University and every officer of the University to give effect to the direction given unde this section.

(6) Every officer of the University shall be personally liable for misapplication of any fun or property of the University as a result of non-compliance of the direction given under this sectio to which he shall have been a party or which shall have happened through or been facilitated b gross neglect of his duty as such officer, and the loss so incurred shall, on a certificate issued b the secretary to Government of Madhya Pradesh, Higher Education Department, be recovered fron such officer as an arrear of land revenue:

Provided that no action to recover the amount of loss as an arrear of land revenue shall b taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish as explanatio and such explanation has been considered by the State Government.

Special provision for better administration of University in certain circumstances.

44.A (1) If the State Government, on receipt of a report or otherwise, is satisfied that situation has arisen in which the administration of the University cannot be carried out i accordance with the provisions of the Act without detriment to the interests of the University, an it is expedient in the interest of the University so to do, it may by notification, for reasons to b mentioned therein, direct that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) shall, as fron the date specified in the notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date) apply to the University.

(2) The notification issued under sub-section (1) (hereinafter referred to as the Notification shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the Stat Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think f so, however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

(3) As from the appointed date the Vice-Chancellor holding office immediately befor the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office and the Chancellor shall simultaneously with the issue of the notification appoint the Vice Chancellor and the Vice-Chancellor so appointed shall hold office during the period of operatio of the notification:

Provided that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation wit the State Government and may be removed by the Chancellor in the like manner:

Provided further that the Vice-Chancellor may notwithstanding the expiration of the perio of operation of the notification continue to hold office thereafter until his successor enters upo office but this period shall not exceed six months.

(4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely:—

(i) every person holding office as a member of the Academic planning an Evaluation Board, the Board of Management or the Academic council, as the cas may be, immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(ii) the Vice-Chancellor appoined under sub-section (3) shall exercise the powe and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, o the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of Management Academic Council :

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist the Vice-Chancellor so appointed in exercise of such powers and performance of such duties :

Provided further that such committee shall be appointed in consultation with the State Government.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, the Vice-Chancellor shall take steps to constitute the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of Management and the Academic council in accordance with the provisions of the Act, and the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of Management and the Academic council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification or the date on which the respective bodies are so constituted whichever is later :

Provided that if the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of management and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice-Chancellor shall on such expiration exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Chancellor till the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of Management or Academic Council, as the case may be, is so constituted.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.